NT>
**Title:** Raised a discussion regarding damage to crops due to natural calamities such as floods, cyclones etc.

17.04 hrs

MR. CHAIRMAN: I now call Shrimati Geeta Mukherjee.

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE (PANSKURA): Mr. Chairman, Sir, it seems that our functioning has been very chaotic because it is stated in the Order Paper that this discussion will be taken up at four o'clock but now it is five o' clock. I think, the hon. Member is raising an objection quite correctly that as one debate is going on another debate comes in and nothing gets properly discussed and decided upon. I think, we should better take a proper procedure to finish one discussion and start another.

17.05 hrs (Shri K. Yerrannaidu in the Chair)

Otherwise, the Members would really forget what they had said about them. Today we have started this discussion and by the time we finish this discussion, there may be three other discussions and this discussion would be forgotten. I am sorry about the state of affairs and I would like you to take it up with the Minister of Parliamentary Affairs so that we can do little differently.

Anyway, as you have called me, I am starting the discussion under Rule 193 regarding damage to crops due to natural calamities. During this year, 19 States have been affected by rains, floods, flash floods, cyclones and drought. According to the reply furnished by the Government, these 19 States are: Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Meghalaya, Orissa, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tripura, UP and West Bengal. These are the 19 States which have been affected, according to the reply furnished by the Government to a question which was answered on the 16th December 1998.

Another interesting thing is that there are different replies and they have given different figures. I am not going into it in detail; but I will give one or two examples. I have got the replies to the questions. They have given different figures for different questions on the same subject, put on different dates. I do not know which should be taken as the real answer.

I would like to say that the States which have been affected most are West Bengal, U.P., Andhra Pradesh, Orissa, Assam, Gujarat, parts of Kerala and Tamil Nadu. This, I am saying from my own experience. We are seeing the figures from the replies also. I am not going into those figures at the moment. The damage to crops and other live-stock are more than that of 1997. The loss of human lives are also substantially higher than that of 1997. This year, the number of those who lost their lives, according to one of the answers, was 3494. The damage to crop areas during 1997-98 was 153.74 lakh hectares. According to another answer, they say that for two years, that is, 1997-98 and 1998-99, the area of crop damage was 151.6 lakh hectares. Is it possible? In one of the answers, they said that for 1997-98 alone, the area of crop damage was 153.74 lakh hectares and in another answer, they said that for two years put together, it was only 151.6 lakh hectares.

Is is possible? I would like to point out that the figures mentioned in the replies are fictitious. Otherwise, this kind of answers could not be given. The figure says the damage caused to the houses and huts during the same period, that is during the year 1997, was 3,30,849. This was a huge loss. The total population affected was 475. 90 lakhs. If those figures were correct, all that I can say is that the damage this year is much more. What the Government has done, in my opinion, is not at all what they should have done to meet the situation neither in the short-term nor in the long-term.

In this connection, I would like to cite the example of West Bengal. As all of you know, West Bengal, particularly the northern part of West Bengal was very seriously affected this time due to heavy rain, floods and due to the damage caused to the embankments. According to the calculation of the Government of West Bengal, the total loss amounts to Rs. 2,000 crore. The State Government of West Bengal demanded Rs. 700 crore. What did the Central Government give? Last year the Central Government had decided to give some amount of money

for resisting the damage. Now, this year the Government altogether gave Rs. 30 crore. Out of those Rs. 30 crore, 30 per cent is grant and the rest 70 per cent would be loan for which they would charge 12.13 interest.

That means we will give more than we have received. So, what do we do? Let us come to this year's Relief fund.

As you know, there is a National Calamity Relief Fund and the State Government Relief Fund. Despite the fact that we wanted Rs.700 crore altogether, nothing has been given to us either from the State Calamity Fund or from the National Calamity Relief Fund. This is despite the recommendations of the 10th Finance Commission that the fund must be released out of the National Calamity Relief Fund in case the intensity is very severe. Unfortunately, except what I have stated earlier, West Bengal did not receive any help.

In reply to one of the questions with regard to flood prevention, it has been said that, `requests for financial assistance, specially for construction and repair of bridges embankments, have not been received.' The fact remains, Sir, that we have very much requested for it. The spurs on the Malda were to be done by the Farraka Authorities but they have not yet done it. If these two spurs - 20th and 21st - are not built immediately then both Padma and Ganga will meet together and will totally devastate the whole area. This is the position. It will create absolute havoc in the nearby districts. It is already in a very very precarious condition and that is why we wanted this help. For this Ganga Padma Action Plan, for all these years except Rs.15 crore the Government has not given much fund.

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE : I am initiating the discussion and I have not said even a single word extra.

Now, the construction of each spur will cost about Rs.15 crore. So far, the Central Government has given nothing. Unless these two spurs are immediately built up, we shall be in great trouble.

Another point is about the crop insurance. This was discussed at great length during the UF Government. The then Minister of Agriculture, Shri Chaturanan Mishra took great trouble in introducing that but till now only 24 selected districts, out of eight States, are being approved by the Central Government for this. If this is the situation, what is the use of having such Crop Insurance Scheme? The Crop Insurance Scheme will be of help if much more expanded area is taken into consideration. These natural calamities occur every year, however, the severity of them varies from year to year. Therefore, the Crop Insurance Scheme is very important.

That is not being put any attention to. I request the Government to pay proper attention to it and assure the farmers that they will be covered by crop insurance all over the country.

Sir, since you are asking me to conclude and I am a law abiding citizen, with these examples I am concluding, though I have many things to say. I am concluding by saying that the way the question of national calamity has been dealt with by the present Central Government, is nothing but calamitous. That is all I can say. The people all over the country irrespective of the type of the Government in the States, are extremely displeased with the performance of the Government. I hope keeping that in mind, in future they will revise their way and go in for something which is necessary for the people to face such calamities.

>

श्री सुरेन्द्र सिंह (भिवानी): सभापति जी, गीता मुखर्जी जी ने जो नियम १९३ के अधीन डिसकशन इनिशिएट किया है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में सारे हिन्दुस्तान में जब कभी भी अनप्रीसीडेंटेड रेन्स, साइक्लॉन या ड्रॉउट हो तो हिन्दुस्तान का आम किसान और कमजोर वर्ग इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। हर प्रांत में पैसे का अभाव रहता है।

हिन्दुस्तान एक कृषि प्रधान देश है और जहां पर अधिकतर लोगों का मुख्य धंधा खेती पर निर्भर करता है। अगर एक साल में उस बरसात की वजह से या किसी वक्त सूखे की वजह से किसान को नुकसान हो तो दस-पन्द्रह साल तक लगातार किसान की हालत खराब रहती है।

वेस्ट बंगाल के बारे में बहन जी ने चर्चा की। हरियाणा एक ऐसा प्रांत है जो हिन्दुस्तान की राजधानी के तीन तरफ लगता है और जब कभी भी बाढ़ हो, सूखा हो तो हिन्दुस्तान की राजधानी पर उसका सीधा असर पड़ता है। जब बाढ़ ज्यादा होती है और फसल खराब होती है तो दिल्ली में सब्जी, एसेंशियल कमोडिटीज के भा

व बढ़ जाते हैं। १९९५ में हरियाणा में बाढ़ की वजह से २२ लाख एकड़ जमीन का नुकसान हुआ। लगातार तीन साल-चार साल उस जमीन पर कोई काश्त नहीं हो सकी। हमने २००० करोड़ रुपए के नुकसान को मद्देनजर रखते हुए केन्द्र सरकार से १००४ करोड़ रुपए की मांग की थी और उसके मुकाबले सोमपाल जी यहां बैठे हैं, हमें केवल ३९.१० करोड़ रुपया मिला तथा ३०० करोड़ रुपया आपने तेरह फीसदी के ब्याज की दर पर दिया। १९९६ में राजस्थान में बहुत ज्यादा बरसात हुई क्योंकि राजस्थान के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, वहां के दो बांध कामेदा और रावली, दोनों बांध टूटने की वजह से राजस्थान का सारा पानी हमारे यहां आ गया और उस वक्त २,७५,००० एकड़ जमीन की फसल नष्ट हो गई और ३२०० कि.मी. सड़क का नुकसान हुआ। हमने केन्द्र की सरकार से ७५७ करोड़ रुपए की राहत मांगी थी जबकि हमारा टोटल नुकसान २९७१ करोड़ रुपये का हुआ था। मंत्री जी यहां मौजूद हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें राहत के लिए कितना रुपया मिला।

इसके साथ-साथ जब बाढ़ आती है, तो उसके बाद के प्रभाव काफी होते हैं। राज्य में पिछले चार-पांच सालों में बाढ़ की वजह से वाटर-लोगिंग काफी हुई है। कई लाख एकड़ किसानों की जमीन पर काश्त नहीं हो सकी। पानी के स्टैगनेशन की वजह से कई प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। मैं मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं। हिन्दुस्तान में बहुत इलाके हैं, जो बाढ़ की वजह से खराब हो जाते हैं और बहुत से इलाके ऐसे हैं, जो सूखे की वजह से खराब हो जाते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार को एक मास्टर प्लान तैयार करना चाहिए, जिसके तहत सरकार जिस क्षेत्र में सरप्लस पानी है, चाहे वह फ्लड की वजह से हो या हैवी रेन फाल की वजह से हो, उसको डाइवर्ट करके ऐसे स्थानों पर ले जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाएगा, तो उससे अन्डरग्राउण्ड वाटर की स्थिति अच्छी होगी। यदि केन्द्रीय सरकार पिछले सालों का हिसाब लगाए कि उसने इस समस्या को ध्यान में रखते हुए, कितना पैसा राज्य सरकारों को दिया है। यदि एक मास्टर प्लान बनाया गया होता, तो कुछ काम उस दिशा में हो गया होता। राजस्थान ऐसा राज्य है, जहां हमेशा सूखा रहता है। पीने के पानी तक की समस्या रहती है। यदि सरकार इस दिशा में कदम उठाए, तो इस समस्या का भी समाधान हो सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए, माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस समस्या के लिए मास्टर प्लान तैयार करें। मेरे विचार से छोटे राज्यों को इस प्लान से अधिक लाभ होगा।

>SHRI K.S. RAO (MACHILIPATNAM): Hon. Chairman, we have been discussing about the effects of natural calamities like floods and cyclones every year and everyone of us is aware of the quantum of damage that is occurring because of floods and cyclones. Though the State and the Central Governments are coming to the rescue of the people who are affected, the assistance given is very marginal or dismal. I do agree that certainly, the Government cannot compensate the entire loss caused to the farming community or the people living in those areas. But my humble request all the time--even when I spoke in the House earlier also--is that total loss or damage that is occurring due to cyclones is many times more than what it could cost for finding out permanent solutions to avoid such calamities in several ways. Maybe, we cannot reduce it by one hundred percent, but we can reduce the cost of damage manifold, by spending a little more amount on permanent structures rather than trying to give some cyclone relief every time.

I will quote some examples from my area. The coastal districts of Andhra Pradesh are subjected to cyclones almost every year. It is very unfortunate that the farming community and the poor sections of the society in the villages are most affected by it. In the last floods which had come about two months back in Andhra Pradesh, river Krishna was in floods. The crops of beetle leaves, vegetables, haldi, and sugarcane which were grown in the islands of the river Krishna were destroyed. The farmers could earn from those crops anywhere around Rs. 40,000 and Rs. 1 lakh per acre.

The relief given by the State Government, when the entire crop was damaged, was Rs. 500/- per acre. When the loss was Rs. 50,000, the relief given was Rs. 500/- per acre. As I told you, it is not possible, even if we demand from any Government, no matter whichever party is in power, to compensate the entire loss to the farmers. But shall we leave these unfortunate farmers at the mercy of the natural calamities, year after year?

I know that you have certain problems in applying the crop insurance to the whole farming community in the country. But in those areas where these cyclones and floods have become a frequent matter, at least, those people must be compulsorily rescued by a comprehensive crop insurance scheme. When we approached you, you wanted to know whether the insurance premium can be increased on these crops. Yes, certainly, it can be done. I do not think that farmers would be against accepting a little increase in the insurance premium. They only want that they must be rescued when such calamities occur.

There cannot be two kinds of justice -- one for the farmers and another for the traders or industrialists. When an accident occurs in an industry, then the insurance company is compensating almost all the losses that are caused. So, when an industrialist or a trader is taken care of, why should the farmer be left out like that? If the insurance companies were to think that the extent of loss is very high on these things, then the same applies to the

industrialists or to the traders. We are continuing our policy there, but we are not applying the same thing to the farmers.

Similarly, certain measures like raising some permanent structures and balancing the reservoirs are needed. During floods, these measures can take care of the devastating effects. In addition, if you permit small check dams on several rivulets, then it will help in storing a lot of water. It will help in avoiding damage to the farming community during natural calamities and it can also be put to extensive use later for irrigating the crops. So, appropriate planning and appropriate directions to the State Governments will help in reducing the loss to the farming community and thus we will be saving the unfortunate farmers, who have been neglected all these years.

With these few words, I request the hon. Minister to consider some special scheme for all the farmers who are living in the coastal belt and who are subjected to frequent cyclones and floods.

MR. CHAIRMAN: Everything is important. Please take your seat.

Now, we take up discussion under Rule 193. Shri Janardan Prasad Misra.

>

श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र (सीतापुर) : माननीय सभापति जी, आपातकालीन प्रकोपों से देश में समय-समय पर तबाही होती रही है, चाहे वह गुजरात में आये हुए चक्र वात के कारण तबाही हुई हो।

... (व्यवधान)

सभापति जी, मैं कह रहा था कि चाहे गुजरात में आये भीषण चक्रवात से गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र को क्षति पहुंची हो या उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल में पहाड़ों के खिसकने से ऊखीमट, रूद्रप्रयाग और पिथौड़ागढ़ में हुई भीषण जन-धन की हानि हुई हो। >

मालपा की घटना में, जिसमें मानसरोवर यात्री रुके हुए थे, पूरे का पूरा काफिला नष्ट हो गया।

ये दैवी प्रकोप, ये आपदाएं प्रतिवर्ष आती हैं और सरकार जब ये दैवी प्रकोप और आपदाएं आती हैं तो उनसे निपटने के लिए राहत की घोषणा करती है, लेकिन यह राहत

18.12 hrs. (Dr. Raghuvansh Prasad Singh in the Chair)

केवल ऊंट के मुंह में जीरे के समान होती है। राज्य सरकारें इन आपदाओं से निपटने में अपने को अक्षम पाती हैं और इसीलिए केन्द्र सरकार की ओर सहायता पाने के लिए देखती हैं। अब की बार १९९८ में मानसून की वर्षा में और बाढ़ से करीब-करीब एक करोड़ से ऊपर लोग बेघरबार हो गये। बाढ़ का पानी घुसने के कारण उनके मकान गिर गये, बहुत से मकान बह गये। नदियों के कटाव से गांव के गांव साफ हो गये और उत्तर प्रदेश में तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, दे वरिया, लखीमपुर, सीतापुर और पडरौना आदि ५३ जनपद बाढ़ की चपेट में आ गये। जहां उत्तर प्रदेश में ५३ जिले बाढ़ की चपेट में आये, २८ जनपद बिहार में, २० असम में, सात वेस्ट बंगाल में आये हैं, वहीं अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में बहुत ही गम्भीर क्षति हुई है। प्रतिवर्ष मानसून में बाढ़ के कारण गंगा की तलहटी और ब्रहमपुत्र के निचले हिस्से में रहने वाले लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं। जहां पर बाढ़ का प्रकोप हो गया, वहां पर खरीफ की फसलें पूर्णतया नष्ट हो गई। वहां पर संक्रामक रोग फैल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के ५० जिलों में संक्रामक रोग, वायरल फीवर, डायरिया आदि से लोग ग्रसित हुए हैं।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश और असम का दौरा करने के बाद ४२ करोड़ रुपये की सहायता राशि की घोषणा की थी, लेकिन जो जन-धन की हानि हुई है, जो लोग उसमें मरे हैं,

जो फसलें नष्ट हुई हैं, उससे इन ४२ करोड़ रुपयों से उन प्रदेशों में कोई भी राहत सम्भव नहीं है और न कुछ राहत दी जा सकती है। इस बाढ़ के कारण से वि भिन्न शहरों में पानी घुस गया, वहां कच्चे मकान गिर गए। राज्य सरकार ने तुरंत सहायता की। वहां पर बाढ़ में फंसे हुए लोगों को निकालने के प्रयास किए और उनको जीने के लिए एक-दो समय के भोजन की व्यवस्था कर दी, लेकिन जो सम्पत्ति नष्ट हो गई और जो फसलों को नुक्सान पहुंचा, उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी।

बहुत सी नदियां ऐसी हैं जो अपना रास्ता बदल देती हैं। जैसे नेपाल की सीमा से निकलने वाली शारदा नदी है। जब पानी का बहाव तेज होता है तो इस तरह की नदियां अपनी दिशा बदल देती हैं, जिससे उनकी चपेट में जो गांव आते हैं, उनके मकानों और समपत्ति को वे बहा ले जाती हैं। बहराइच, लखीमपुर और सीतापुर शारदा नदीं के कटान से इतने ज्यादा प्रभावित हुए हैं कि सीतापुर की चार तहसीनों में कोई भी गांव ऐसा नहीं बचा जिसमें बाढ़ का पानी न आया हो। गोरखपुर, दे वरिया और पडरौना में भीषण तबाही हुई है, जिसके कारण वहां का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। बहुत सी सड़कें टूट गईं, बांध टूट गए, पुल-पुलियां ध्वस्त हो

गईं, उनकी मरम्मत के लिए बहुत धन की आवश्यकता है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने ३०० करोड़ रुपए राहत के रूप में दिए हैं, लेकिन इतने से जन-धन की जो हानि हुई है, उससे इस आपदा से नहीं निपटा जा सकता।

मैं बाढ़ की विभीषिका से निपटने के लिए कुछ सुझाव सरकार के सामने रखना चाहता हूं। जिन बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में जितने लोगों के मकान कट गए हैं, उनको इंदिरा आवास योजना के तहत विशेष धन देकर सरकार उन्हें राहत पहुंचाने का काम करे। जो नदियां अपना रास्ता बदल देती हैं, उनमें अगर दोनों तरफ तटबंध बना दिए जाएं, जैसे मैंने शारदा नदी का जिक्र किया था, तो बहुत बड़ा क्षेत्रफल और गांव उन नदियों की चपेट में आने से बच सकते हैं।

पूर्व की सरकार ने प्राकृतिक आपदा कोष को पूर्णरूप से खाली किया गया है। इसलिए प्राकृतिक आपदा कोष से केन्द्र सरकार सहायता नहीं कर पा रही है। मेरा सुझाव है कि स्थाई रूप से प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए इस कोष को जो ७०० करोड़ रुपए के करीब का बनाया जाता है और बढ़ाया जाए, जिससे प्र ाकृतिक आपदाओं से भली प्रकार से निपटा जा सके।

एक मेरा सुझाव यह है कि चाहे गंगा, ब्रहमपुत्र, शारदा, सरयू या यमुना हो, इनमें कुछ तटबंध बनाकर और इनको सीमित करने का काम किया जाए, ऐसा हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसी आपदाओं की सूचना देने के लिए कुछ केन्द्र स्थापित किए हैं। अगर कुछ ऐसा किया जाए जो कि ऐसी आपदाओं की पूर्व से सूचना दे सकें ताकि उस क्षेत्र में नदियों के किनारे बसे हुए लोगों को पूर्व से सूचना मिल जाए तो उस पूर्व की सूचना से काफी राहत मिल सकती है और वहां के लोग अपना सामान या अपना घर छोड़कर ऊंची जगह पर आ सकते हैं। अभी कुछ बांधों से पानी छोड़ा गया। हरियाणा से पानी छोड़ा गया जिससे दिल्ली में बाढ़ आ गई। इसी प्रकार से पीलीभीत जिले में बने हुए शारदा बैराज से पानी छोड़ा गया और उसके कारण वहां से सभी नदियों का जल स्तर बढ़ गया जिसके कारण फसल आदि की भीषण क्षति हुई है। अतः मैं राज्य सरकार को विशेषकर उत्तर प्रदेश को जिसके ५३ जिले हैं और जो बाढ़ की इस विभीषका से प्रभावित हुए हैं, उनको विशेष राहत दी जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं।

>

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : सभापति जी, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि नियम १९३ के अधीन आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

माननीय मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि मेरे पूरे संसदीय क्षेत्र चायल का क्षेत्रफल बिल्कुल लम्बाई में है। उसके एक तरफ गंगा नदी है और दूसरी तरफ यमुना नदी है और जब भी बाढ़ आती है तो विकराल रूप ले लेती है और खासकर जो हमारी गंगा और यमुना नदियो के किनारे बसे हुए गांव का क्षेत्र हैं, उनकी खेती भी नष्ट हो जाती है, गांव में भी पानी चढ़ जाता है। दूसरी तरफ इस वर्ष बाढ़ में पूर्वान्चल में जो तबाही आई है, वह सर्वविदित है। गोरखपुर से लेकर पूरे पूर्वांचल के जनपदों में पानी सभी जगह पर इलाहाबाद, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर और गोरखपुर में बाढ़ ने तबाही मचा दी थी। खागा और सिराथू के कुछ गांवों में नदियों का इतना जबर्दस्त कटाव हुआ कि जब भी बाढ़ आती है, बाढ़ के बाद नदी अपना रास्ता जरूर बदलती है जिससे बहुत बड़ा नुकसान, खासकर ऊपर खेती करने वाले जो लोग हैं, उनका ही नहीं बल्कि कछारा में भी खेती करने वाले जो किसान हैं, जो मटर और सब्जी की पैदावार करते हैं तथा जिससे उनका पूरे साल भर का जीवन चलता है लेकिन इस बाढ़ की वजह से वे भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस तरफ ध्यान दें।

हमारे तमाम पूर्वांचल के साथी बैठे हुए हैं। उनको मालूम है कि जब पूर्वांचल में बाढ़ आई थी तब पूरा गांव तबाह हो गया था। उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिए जाएं कि जिन अनुसूचित जातियों, पिछड़ा वर्ग या कमजोर वर्ग के जिन भी लोगों के घर बह गए हैं, उनको इंदिरा आवास योजना या निर्मल आवास योजना के तहत आवास दिए जाएं। यह धनराशि बहुत कम है इसलिए कुछ और धनराशि देकर उन लोगों के लिए आवास बनाए जाएं जिनके पास खेत और घर छोड़कर बाकी कुछ नहीं बचा है, केवल उनका अपना जीवन बच गया है। दूसरी तरफ रोजगार देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार या केन्द्र की विशेष योजना के तहत उनको अनुदान या ऋण दिया जाए।

ताकि उनको रोजगार मिल सके और वे अपना जीवनयापन कर सकें।

सभापति महोदय, केन्द्रीय सरकार के माननीय प्रधान मंत्री जी और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री राहत कार्य के नाम पर बहुत सारा पैसा देते हैं, लेकिन राहत कार्य में लगे लोगों की वजह से विस्थापित लोगों को राशन-पानी की व्यवस्था का फायदा नहीं होता है। वास्तविकता यह है कि बृहद रूप में उस पैसे की धांधली होती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि वहां पर स्वयं सेवी संस्थाओं और राजनीतिक दलों के लोगों की एक टीम बनायें, जो वहां के कामों का सर्वे करे, ताकि केन्द्र और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दिए गए पैसों का सदुपयोग हो।

दूसरी बात, सेना और स्वयं सेवी संस्थाओं का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने पूर्वांचल में आई बाढ़ को अपना घर समझकर रोका। मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में एक बात यह भी लाना चाहता हूं कि नेपाल देश से बहुत सा पानी पूर्वांचल में आने से तबाही होती हैं। इसको रोकने के लिए सरकार को नेपाल सरकार से बात करके इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए।

अंत में, मैं सरकार को चंद सुझाव देना चाहता हूं। नदियों में बालू की समस्या से बाढ़ की समस्या बनी रहती है। इसको निकालने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। इसके साथ ही कटाव के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि नदियों के किनारे बसे हुए लोगों को सुविधा हो।

महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसको लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

>SHRI LAKSHMAN CHANDRA SETH (TAMLUK): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me an opportunity to participate in the discussion regarding natural calamities. It has become a regular feature in our country. Floods, cyclones and drought are important features of natural calamities. The cyclones cannot be tackled, but floods and drought can be tackled. Preventive measures can be taken up to combat the devastation caused by cyclone. In the coastal areas, every year cyclones take place. Haldia, Digha which belong to the district of Midnapore and Andaman are some coastal areas which are being devastated by the cyclones. It is an unfortunate event. But it can be easily calculated as to in which part of the coastal area, the cyclone would affect every year. So, certain preventive measures can be taken up to combat the devastation.

Disaster management has failed to tackle the situation. Whenever cyclones take place, heavy devastation takes place, causing damage to houses, paddy crops, uprooting the trees, etc. In the age of advanced technology and science, so many things can be taken up to combat devastation.

I think, in West Bengal, floods are taking place because of the faulty design of the DVC. The total plan of the DVC has not been implemented. Because of the partial implementation of the DVC, Bengal is affected floods every year. The officers concerned are allowing water to flow into West Bengal because the capacity of the DVC is not adequate to accommodate the heavy rainfall.

I think this should be tackled very seriously. In northern part of West Bengal, particularly in Midnapore, there is drought every year. I think natural calamities like flood and cyclone can be tackled by making enough provisions. In northern and southern part of West Bengal, every year there is flood. The rivers are full of silt. Due to the erosion of the river embankments and because of the flood waters of the Bay of Bengal, heavy siltation takes place in the river beds. Since there is a heavy siltation, when it rains heavily, all the areas are flooded. There is no scheme for any reservoir to reserve the water. If we make provision for reservoirs, we would be able to tackle the flood very effectively. We will be able to use that water for irrigation also in the future. If there is no rain, that water can be used for irrigation.

Since there is no enough water, the water becomes saline. Sometimes, due to acute femine, there is a crisis for potable water. Since there is more salinity in the Ganges, irrigation is also seriously affected which affect the cultivation in turn. I think this problem can be easily tackled. But the Government should make sincere effort and attempt to tackle all these issues. Every year we are either facing either flood or famine or both. The Government should evolve some method so that we can combat these natural calamities. Whenever there is flood or drought or cyclone, the Government is providing under the National Calamity Relief Fund. But the amount provided is not sufficient and it is not timely. Four or five months after the devastation takes place, when the poor people are rendered homeless and when the roads are damaged, Government of India sends some money to the State Governments. My proposal is that suitable fund should be provided in advance to each State Government which are cyclone prone, drought prone and flood prone so that they can easily tackle the situation. Whenever any particular State is affected by flood or drought, that particular State can effectively deal with the situation by providing the funds. So, I would like to put an earnest request to the hon. Minister to look into this matter. The Government should set up reservoirs so that the water can be stored and desilt the rivers in order to increase their capacity to accommodate the heavy rain. The Government should pay special attention to coastal areas because you all know that whenever cyclone hits a particular place, the water of the under soil goes down. In the coastal areas, a special fund should be provided for providing drinking water. As I said earlier, due to the salinity of the water, it becomes useless for irrigation and irrigation does not take place. That is why special arrangement should be made so that rain water can be used for irrigation in coastal areas.

If the Government takes all these measures, these natural calamities can be tackled. We can tackle floods and droughts.

It is also found that funds from the Natural Calamity Relief fund are not equally distributed among the States. Some States are deprived of the fund while others are benefited. There is no methodology available with the Centre. A Committee consisting of the representatives of the State Governments should be formed which should

allocate funds to different States according to the degree of devastation caused. This methodology should be evolved otherwise, a number of States stand benefited while others are getting deprived of the fund. This is my submission. In this age of advanced science and technology, we are not able to tackle the devastation caused by these natural calamities. This is unpalatable, undesirable. Today, when the man has reached moon, we are not able to tackle these natural calamities. It is very unfortunate. So, I request the hon. Minister, while replying to the debate, to reply to this important issue in a very positive manner.

>SHRI P.S. GADHAVI (KUTCH): I congratulate Shrimati Geeta Mukherjee to have raised this very important issue. As we know,devery year different parts of our country face different calamities. This year the Northeastern region has faced a severe calamity. This year, Gujarat, particularly Kutch district, has faced an unprecedented cyclone with the result poor labourers have lost their lives. About 3000 to 4000 poor labourers have lost their lives and many more have lost their homes and shelters. Kutch district is facing acute shortage of drinking water. For the last 50 years Kutch has faced about 32 droughts with the result poor farmers have to migrate from there. The cattle breeders of that district have no other option but to leave that place. About 3000 people have lost their lives this year and yet no special fund has been received by Gujarat State. The State of Gujarat has requested the Centre to provide for at least about Rs.610 crore. In one of the replies, the Central Government had stated that in 1998-99, Rs.116.20 crore had been released. While in other reply, it has been stated that for the year 1998-99, Rs.150.83 crore has been released. Different answers have been given at different times. We have asked for the rehabilitation of labourers of Kandla who have lost their lives. About 3000 houses are to be constructed. There is no plan with the Government as to how to go about this. Gujarat Government has agreed to provide one-third of the money but where from the rest of the money will come? Till it comes, houses will not be constructed and the poor farmers will have to remain without shelter. I would request the hon. Minister to immediately release this fund because this is an unprecedented year because of the unprecedented cyclone which Kutch district has faced. The Kutch Port Trust has given some land. These workers were attached to the Kandla Port. This is the only salt-producing area in the country and it produces almost 60 per cent of the salt being produced in the country. So, I would request that the workers should be given shelter. Kandla Port Trust has got some reserve fund. The Central Government should ask the Trust to give this money.

Sir, as you know, the Kutch district which has a very large area spread over 45,000sq kilometres facing famine after famine every year. During the last 50 years, we had faced 32 famine. People have migrated from there. We have a very small vegetation on Southern coast of Mandvi, Mundra and Anjar Taluka. We had some fruit bearing trees of kharek chickoo and mango. Only kharek trees are being grown in Kutch. This year due to cyclone we have lost about 12 to 15 lakhs of trees in this cyclone. Now, these farmers should be given long-term assistance by way of soft interest loans. They should be provided seeds and other facilities. If these facilities are not given to them, these farmers who had grown trees by their labour of 30 to 40 years, will Perish. The landless labourers who are dependent on them have got no other job. Therefore, I request the hon. Minister that the Government should make some provision for the long-term assistance.

As regards landless labourers, there should be some special housing scheme like Indira Avas Yojana. Some special yojana should be provided there. The Government says that it will be considered in the meetings of the Natural Calamity Relief Fund and Inter-Ministerial Group. I do not know when it will be considered. The Gujarat Government had demanded Rs.610 crore to meet the damages. No doubt, the damage is much more, as Kandla itself has suffered a loss of Rs.300 crore. The property worth more than Rs.2,000 crore has been lost and 4,000 persons have lost their valuable lives. If shelter is not provided to the poor labourers, what will happen to them? So, I earnestly request the hon. Minister to see that some special provision is made for the Kutch district.

>

श्री बूटा सिंह (जालौर): सभापति महोदय, अभी तक इस सदन में प्राकृतिक आपदा और बाढ़ तथा साइक्लोन पर चर्चा होती रही है लेकिन सुखाड़ के बारे में इस सदन में किसी ने चर्चा नहीं की है। हमारे देश का आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान और गुजरात का बड़ा भाग ड़ाई फार्मिंग में आते हैं। इस बैल्ट का हज़ारों मील इलाका बिना बरसात के सूखा रहता है। राजस्थान में इसकी सबसे भंयकर हालत है। वहां की नदियो में साल के २-३ महीने में पानी रहता है और उसका इस्तेमाल नहीं होने से वह पानी ३-४ घंटो में गायब हो जाता है। जब बरसात आती है तो ये नदियां इतनी स्पीड से बहती हैं कि गांव के गांव नष्ट हो जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, पाली, नागौर, जालौर और बाडमेर जिले, गुजरात का लगा हुआ क्षेत्र रन ऑफ कच्छ और उसने लगा हुआ १५०-२०० मील का एरिया भंयकर रूप से सुखाड़ से प्रभावित हैं। जल स्तर इतना नीचे चला गया है कि एक बूंद पानी नहीं मिलता है। स्थिति इतनी खतरनाक हो गई है कि यदि कहीं पानी मिलता भी है तो उसमें एक जहरीला पदार्थ आ जाता है जिसके पीने से लोग कुबड़े हो जाते है, उनकी हड्डियां टूट जाती हैं और उन लोगों की मृत्यु भी जल्दी हो जाती है। इस

बीमारी की चपेट में हजारों-लाखों लोग आ रहे हैं। सबसे बड़ी विडम्बना की बात तो यह है कि राज्य सरकार से आई हुई रिपोर्ट जब तक दिल्ली पहुंचती है, तब तक वहां वर्षा हो चुकी होती है और भारत सरकार कहती है कि वहां सूखा खत्म हो गया है। इसलिये राहत कार्य शुरु नहीं होता। मुझे याद है कि सन् १९८५, १९८६ और १९८८ में राजस्थान में इतना भयानक सूखा पड़ा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने राजस्थान सरकार को १० लाख टन अनाज दिया और तीन साल राहत कार्य चलता रहा। इससे वहां के किसानों को राहत मिली।

सभापति महोदय, वहां के किसानों और लोगों की मुसीबत है ही, हज़ारों की तादाद में किसानों के पशु चारे के अभाव में मर जाते हैं। मेरे क्षेत्र में सैंकड़ों भेड़-बकरियां चारे के अभाव में दूसरे प्रदेशों में यथा- मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में लोगों द्वारा ले जाई जाती हैं तो उनको पकड़कर बंद कर दिया जाता है। उन लोगों को मारा जाता है, लूटा जाता है जो भेड़-बकरियां लेकर जाते हैं। दिल्ली में सैंकड़ो की तादाद में ऐसी भेड़-बकरियां रायका वालों की बंद पड़ी हुई हैं।

इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि एक स्पेशल टीम राजस्थान में भेजकर खासकर पश्चिम राजस्थान में स्टडी कराएं और वहां राहत कार्य तुरंत शुरू कराएँ ताकि वहां के लोगों को राहत मिले। वहां लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। वहां जल स्तर इतना नीचे चला गया है कि राज्य सरकार के पास साधन नहीं हैं कि वह जल स्तर के लिए कुछ कर सके। बहुत डीप वेल लगाने पड़ते हैं। भारत सरकार की ओर से वहां डीप वेल लगाकर लोगों को कम से कम पीने का पानी पहुंचा दिया जाए जिससे कि लोग बच सकें। वहां के लोगों के जीवन का मुख्य आधार पशु हैं। पश्चिम राजस्थान में पशु बरबाद हो गए, हजारों की तादाद में गाय मर गई हैं। मैं मंत्री महोदय से विशेष अपील करने के लिए बैठा हूं कि कृपया राजस्थान के पश्चिम भाग के लिए एक स्पेशल टीम भेजें ताकि वहां के लोगों को पीने का पानी मिले और वहां के पशुओं के लिए कुछ चारा भेजा जाए ताकि वहां के लोगों को कुछ राहत मिल सके।

आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

>

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद) : सभापति महोदय, नियम १९३ के अंतर्गत बाढ़, चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों की हुई क्षति के बारे में यहां चर्चा हो रही है। बाढ़ से बरबादी बड़े भारी पैमाने पर बिहार राज्य में हुई है। उत्तर बिहार में मधुबनी, खगरिया, सुपौली, सीतामढ़ी आदि जिलों में इतना नुकसान हुआ कि लोगों को बड़ी कठिनाइयां बाढ़ के कारण हुईं और वैसी विपदा के समय में मैं सदन के माध्यम से और आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि भारत सरकार ने कुछ नहीं किया। जब बड़ी विपदा आती है तो उसकी सुध ली जाती है, लेकिन सुध लेने का काम भी भारत सरकार ने नहीं किया। मैं बिहार की माननीय मुख्य मंत्री महोदया श्रीमती राबड़ी देवी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस विपदा का मुकाबला बड़ी हिम्मत से किया। जैसी बाढ़ की चपेट में लोग पड़े थे, उनको आज तक के इतिहास में बिहार में कभी भी सहायता के नाम पर इतनी सहायता अनाज या धनराशि के रूप में नहीं दी गई, जितनी इस बार बिहार की मुख्य मंत्री माननीय श्रीमती राबड़ी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, उसने दी है। उन्होंने प्रति परिवार एक क्विंटल गेहूं देने का ऐलान किया और जो भी बाढ़ से प्रभावित लोग हैं, उनको राजकोष से एक परिवार को एक क्विंटल यानी १०० किलो गेहूं और २०० रुपये नमक, तेल आदि के लिए और पशुओं की हालत ठीक करने के लिए उनके चारे के लिए २०० रुपये प्रति परिवार मुहैया कराया। यह राज्य सरकार द्वारा किया गया, लेकिन केन्द्र सरकार वैसी विपत्ति के समय में मदद करने की बात तो दूर रही, उल्टे जब बाढ़ पर चर्चा और बाढ़ में राज्य सरकार को क्या करना है, इसके लिए सदन बुलाया गया तो उसी समय केन्द्र सरकार ने वहां वनांचल विधेयक भेज दिया।

बाढ़ की विपदा पर चर्चा के लिए सदन की बैठक बुलाई थी कि बाढ़ से कैसे निपटारा हो, बाढ़ का कैसे मुकाबला करें। तभी वनांचल विधेयक स्वीकृति के लिए भेजा गया। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि फसल की बरबादी के बारे में सदन में चर्चा हो रही है, लेकिन बिहार राज्य में किसान ने अपनी फसल एक बार नहीं, तीन बार बोई और जब फसल उगी तो उस फसल में काल जैसी बीमारी लगी और वह फसल बरबाद हो गई और जो बड़े पैमाने पर मकान गिरे उनका निर्माण नहीं कराया गया। केन्द्र सरकार ने अपने जवाब में कहा था कि राज्य सरकार की सूची ही नहीं आई। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार को चुनौती देता हूं कि राज्य सरकार की सूची ग़ृह निर्माण के लिए आई है। यह बहाना बना रहे हैं कि सूची नहीं आई है।

सभापति महोदय, इसके साथ मै आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बिहार में जितनी बरबादी बाढ़ से हुई हैं और अगर बिहार को बाढ़ से बचाना है तो उसका एक ही निदान है कि नेपाल से कमला, कोसी, बागमती और अधवारा समूह की जो नदियां निकलती हैं, जहां इनका उदगम स्थल हैं, उस उदगम स्थल पर नेपाल में यदि एक डैम बना दिया जाए तो बिहार पर बड़ा भारी उपकार होगा। इससे वहां बिजली पैदा होगी और इतनी बिजली पैदा होगी कि बिहार बाहर भी बिजली दे सकता है और बाढ़ से भी राज्य को सदा के लिए मुक्ति मिल सकती है। मैं केन्द्र सरकार को दो सुझाव देना चाहता हूं कि यदि आप बाढ़ का स्थायी निदान चाहते हैं तो आप नेपाल सरकार से बात करके वहां एक डैम बनाएं। मेरा दूसरा सुझाव यह है इस विपदा के समय में आपने सुधि नहीं ली, लेकिन एक काम आप अभी भी कर सकते हैं कि जिन गरीबों के मकान गिर गये हैं, बह गये हैं, उनका ग़ृह निर्माण करने के लिए इंदिरा आवास योजना के तहत केन्द्र सरकार पैसा भेज दे, जिससे कि वहां ग़ृह निर्माण हो सके। यही आपका बिहार राज्य पर सबसे बड़ा उपकार होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

>

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत): सभापति महोदय, सारे देश में बाढ़ और सूखे की वजह से जो बरबादी हुई है, उसके बारे में यहां विशेष चर्चा चल रही है। देश की ८० प्रतिशत आबादी किसानों की है, खेतिहर मजदूरों की है और इतनी बड़ी पापुलेशन का अधिकतर हिस्सा प्रतिवर्ष प्राकृतिक आपदाओं के घेरे में आता है। चाहे वह सूखे की बात हो या फ्लड की बात हो।

सभापति महोदय, आज हम आजादी की ५०वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। लेकिन पिछले ५० सालों में इस भयंकर समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। समस्याएं अनेक हैं जिसमें भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई और जनसंख्या की समस्याएं हैं। उसी प्रकार से बाढ़ या प्राकृतिक प्रकोपों की समस्या से इस देश के लोगों का नुकसान होता

है। यह एक बहुत भयंकर समस्या है। प्रतिवर्ष हजारों करोड़, अरबों, खरबों रूपयों का नुकसान किसी न किसी शक्ल में इस देश के हिस्सों में होता है। लगभग हर प्रदेश के किसी न किसी हिस्से में फ्लड आती है, किसी हिस्से में साइक्लोन आता है और कही सूखा पड़ता है। हर दृष्टि से किसान बरबाद होता है, खेतिहर मजदूर बरबाद होता है। जहां तक हमारे प्रदेश हरियाणा का संबंध है, यह प्रदेश लगातार पिछले ५० सालों से फ्लड की चपेट में रहा है। कुछ प्रांत ऐसे होंगें जहां कभी-कभी फ्लड आती होगी। लेकिन हमारे प्रदेश के १९ जिलों में से १२ जिले प्रतिवर्ष फ्लड से प्रभावित होते हैं।

सभापति महोदय, सात जिले ऐसे हैं जो सूखे से प्रभावित होते हैं। दोनों दृष्टियों से किसान बर्बाद होता है और अफसोस इस बात का है कि ५० साल से इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया गया है। हर जगह जहां भी किसान का नुकसान होता है वह चिल्लाएगा और मुआवजे तथा सहायता की मांग करेगा और जितना पैसा हम प्रति वर्ष फ्लड के ऊपर खर्च करते हैं, यदि दो-तीन वर्ष का इकट्ठा उतना धन एक साथ ड्रेनों की सफाई कराने या नई ड्रेनें खोदने पर खर्च कर दें, तो यह समस्या हमेशा के लिए सुलझ जाएगी, लेकिन ऐसा न कर जब फ्लड आता है और जब किसान चिल्लाते हैं, तो थोड़ा सा धन उनको सहायता के लिए दे दिया जाता है जिसका सदुपयोग न होकर दुरुपयोग होता है। वह धन किसानों को नहीं मिलता बल्कि बिचौलिए खा जाते हैं। दुबारा जब बाढ़ आती है, तो फिर सरकार द्वारा वही पुरानी प्रक्रिया दोहरा दी जाती है। मेरा आग्रह है कि इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए।

सभापति महोदय, किसान तो एक ऐसा गरीब इंसान है जो प्रकृति पर निर्भर करता है। कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी बिजली की कमी और कभी खाद की कमी उसे परेशान करती है। इस बार खाद और बिजली की कमी की वजह से किसान परेशान रहा। हमारे प्रदेश में किसानों के साथ ज्यादतियां हुई और आंदोलन करने पर गोलियां चलीं। हमारे किसान नेता दो-तीन सालों से जेलों में बंद हैं। उन्हें नहीं छोड़ा जा रहा है। किसानों को बिजली की वजह से एजीटेशन करना पड़ा जिसके कारण उन्हें जेलों में बंद कर दिया गया। हमारे किसानों के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। हमारी किसान यूनियन के बहुत बड़े नेता श्री घासी राम नैण जो बड़े प्र तिष्ठित नेता हैं, वे पिछले तीन महीन से जेल में बंद हैं। उन्हें छोड़ा नहीं जा रहा है। उनको छोड़ने की हमने बार-बार प्रार्थना की है, लेकिन उनको अभी तक नहीं छोड़ा गया है और वे आज भी जेल में बंद हैं।

सभापति महोदय, हम हरियाणा में आई बाढ़ के संबंध में प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी मिले थे। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था। उन्हें इस बारे में जानकारी भी थी कि हरियाणा में बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन अभी तक मेरी जानकारी के अनुसार हमें कोई मदद नहीं मिली है। हमारा २२०० करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उसके मुकाबले में यदि केन्द्र सरकार की तरफ से सहायता मिलेगी भी, तो वह बहुत थोड़ी होगी क्योंकि हम जानते हैं सरकार के साधन सीमित हैं और किसान का नुकसान बहुत ज्यादा है, लेकिन जब किसान का नुकसान होता है, तो वह चिल्लाता है और सरकार से उम्मीद करता है कि सरकार उसके कष्ट में आगे आए और उसे राहत प्रदान करे। किसानों का तो भगवान ही रक्षक है और उसी के भरोसे पर हमारे देश में खेती होती है।

सभापति महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे कृषि मंत्री ने किसानों के लिए फसल बीमा योजना बनाई है। हालांकि मैने उसे पढ़ा नहीं है, लेकिन अखबारों में आया है। मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छा कदम है और किसानों की यह बहुत पुरानी मांग है जिसके ऊपर कृषि मंत्री महोदय ने इस बार ध्यान दिया है। इस बार कृषि मंत्री महोदय ने गेहूं का दाम ५५० रुपए प्रति क्विंटल का दिया है। हालांकि कृषि विशेषज्ञों और कृषि मूल्य आयोग के अनुसार गेहूं की उत्पादन लगात ७०० रुपए प्रति क्विंटल आती है, लेकिन मैं समझता हूं कि कांग्रेस के समय में कभी भी किसानों को एक, दो और तीन रुपए प्रति क्विंटल से ज्यादा गेहूं की बढ़ी हुई कीमत नहीं मिली, लेकिन इस सरकार के काल में पहली बार हो हो रहा है कि किसानों को ९५ रुपए प्रति क्विंटल की दर से बढ़ी हुई कीमत मिली है। हम यह जानते हैं कि किसान की लागत के मुकाबले में गेहूं का यह दाम कम है, लेकिन मैं इसे बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि बाढ़ की स्थिति को देखते हुए हर वर्ष फ्लड और सूखे की चपेट में हमारा जो भाग आता है उससे बचने के उपाय किए जाएं और प्रभावित क्षेत्र के किसानों को ज्यादा से ज्यादा सहायता दी जाए।

उन किसानों को अधिक से अधिक सहायता दी जाये और सहायता के साथ-साथ हमेशा के लिए एक ऐसा प्रौजेक्ट बनाया जाये जिससे किसानों को मांगने पर मजबूर न होना पड़े। उन्हें दर-दर धक्के न खाने पड़े इसलिए पैसा उधर डायवर्ट होने की बजाय प्रौजेक्टों पर डायवर्ट होना चाहिए। समय से पहले ड्रेनों की सफाई होनी चाहिए और समय से पहले ही फ्लड का सारा इंतजाम होना चाहिए। अभी जिस तरह बूटा सिंह जी बोल रहे थे कि एक तरफ सूखा है और दूसरी तरफ फ्लड है, तो आप ऐसा प्रौजेक्ट बनाइये जिससे फ्लड का जो पानी है, वह सूखे वाले इलाकों में चला जाये। इससे फ्लड से भी बचा जायेगा और सूखे का भी इलाज हो जायेगा, दोनों मतलब हल हो जायेंगे। यह बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।